न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 12/2020
तारीख निर्णय – 15.03.2021

प्रार्थी :–

भंवरसिंह पुत्र मोडसिंहजी जाति–राजपूत निवासी–गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. छैलसिंह पुत्र देवीसिंह जाति–राजपूत
   निवासी–गुडद दुर्गा, तहसील–मारवाड जंक्शन जिला–पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील सुरेश दवे।
2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से – वकील हुकमसिंह सोंलकी।

–: निर्णय :– **दिनांक – 15.03.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 की सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गुडा दुर्जन, पटवार हल्का कोट सोंलकियान भू.अ.नि. क्षेत्र–मगरतलाव तहसील–देसूरी, जिला–पाली की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 240 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 241 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा–2 रकबा 1.8500 में कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 2/3 हिस्से पर बहैसियत खातेदार के काबिज है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी पर मौके पर प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति एवम् रजामंदी से दिनॉक 17.05.2010 जरिये राजीनामा मौके पर बंटवाडा किया हुआ हैं। मोके पर अलग–अलग कब्जा काश्त एवम् भोग–उपभोग चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:05 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वादग्रस्त आराजी का जरिये राजीनामा लिखित दिनांक 17.05.2010 का बंटवाडा हो चुका है। एवम् अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर दोनो काबिज है, किन्तु

पेज नम्बर 2 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस. [illegible]) देसूरी (पाली)

वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बॅटवाडा रिकोर्डली नही हुआ है जो अविभाजित है । प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के मध्य संयुक्त काश्त सभंव नही हैं जिससे प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का विधिकरूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवा कर अपने 1/3 वॉ हिस्सा खसरा नम्बर 240, 241 रकबा 1.8500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि का अलग बॅटवाडा चाहता हैं, जिसके लिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार कहा गया, राजीनामें में भी रिकोर्डली बंटवाडा करने हेतु लिखा गया था। किन्तु अप्रार्थीगण आज–कल बताकर टालम–टोली कर रहे है। तथा अप्रार्थी ने आज से तीन–चार रोज पूर्व प्रार्थी के 1/3 हिस्से की कब्जा काश्त कृषि भूमि में प्रार्थी के धोरापाली हटाकर प्रार्थी के हिस्से मे तारबन्दी लागना शुरू की, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त.अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

यह है कि अप्रार्थीगण संख्या–1 लोगो की सिखावट मे आकर वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी के हिस्से की आराजियात में प्रार्थी के कब्जे काश्त मे नाजायज दखलन्दाजी कर प्रार्थी के कब्जेकाश्त में तारबन्दी करने पर आमादा है एवम् अप्रार्थीगण संख्या–1 प्रार्थी के बंट की कृषि भूमि खसरा संख्या 240, 241 में जोर जबरदस्ती डरा–धमकाकर रात्रि के समय जेसीबी मशीन लेकर वादी को हटाकर एवम् तारबंदी कर प्रार्थी के कृषि भूमि को खुर्दबुर्द एवम् नुकसान पहुंचा कर आज से 3–4 दिन पहले निकाल दी हैं। प्रार्थी को इनकी जानकारी होने पर इसकी सूचना पुलिस थाना खिंवाडा में दी। अतः अप्रार्थी संख्या–1 एवम् उनके परिवार को प्रार्थी की कब्जा काश्त दखलन्दाजी एवम् तारबन्दी करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवम् न्याय संगत है। अन्यथा प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति करना संभव नही हैं।

यह है कि मूलवाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा जिससे मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण संख्या–1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी के बंट की भूमि खसरा संख्या 240, 241 रकबा 1.8500 के 1/3 हिस्से में प्रार्थी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि पर अप्रार्थी एवम् उसके परिवारजन के द्वारा की जा रही तारबन्दी करने से रोका जाना नितांत आवश्यक है। अन्यथा अप्रार्थीगण अवैध रूप से नाजायज कृत्य कर प्रार्थी की कृषि भूमि में खसरा संख्या 240, 241 रकबा 1.8500 हैक्टर में 1/3 वे हिस्से में दखलन्दाजी कर तारबन्दी कर रहे जिससे प्रार्थी को अपने बंट की भूमि पर काश्त करने से वंचित कर रहे है। जिससे प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा और प्रार्थी द्वारा मूलवाद करने का मकसद समाप्त हो जायेगा एवम् अनावश्यक विवाद होगा। इन परिस्थितियों मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूलवाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना नितांत आवश्यक एवम् न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवम् मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थी

पेज नम्बर 3 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थी के 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि जो मौके पर अलग बंटी हुई खसरा संख्या 240, 241 में प्रार्थी की कब्जा सुदा विद्यमान् हैं, उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी, तारबंदी अवरोध, रोक–टोक, बाधा उत्पन्न नहीं करे न किसी अन्य से करावें एवम् प्रार्थी को उसके बंट की भूमि में काश्त से वंचित नही रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गयातथा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से हुकमसिंह सोंलकी ने वकालत नामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की मौके पर संयुक्त कब्जा काश्त नही है। इस पद में यह वर्णित नही है कि प्रार्थी का कब से तथा वादग्रस्त आराजी के कौनसे हिस्से पर या किस दिशा की तरफ प्रार्थी का पृथक कब्जा है, वर्णित नहीं हैं पूर्व के प्रार्थना पत्र का फैसल कब तथा किस प्रकार हुआ वर्णित नहीं है। जिससे मजबुरन अप्रार्थी को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति की पूर्व वास्तविकता, सत्यता स्पष्ट करने हेतु जवाबदावा के साथ नक्शा प्रति सलग्न करना पड रहा है।

वादग्रस्त आराजी ग्राम–गुडा दुर्जन के खसरा नम्बर 240, 241 कुल रकबा 1.8500 हैक्टर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा हैं प्रार्थी ने पूर्व में गलत राजस्व वाद 62/2009 का इसी वादग्रस्त आराजी से संबंधित पेश किया था। जिस पर प्रार्थी का अप्रार्थी के मध्य आपसी समझाईश से बंटवाडा वादग्रस्त आराजी का हुआ। जिसके बाद उक्त राजीनामा का लिखत दिनांक 17.05.2010 को प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य लिखा गया। तब से जवाबदावा के साथ सलंग्न नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी भग पर प्रार्थी का पृथकत कब्जा तथा मार्क सी.डी.ई.एफ.जी.एच पर अप्रार्थी संख्या 1 का पृथकतः कब्जा काश्त विद्यमान है। सन् 2010 के राजीनामा लिखत के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से की पृथक कब्जा काश्त भूमि को समतल, सुधारात्मक कार्य कर उपजाउ भी बनाया है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का राजीनामा से बंट हो चुका है। जो प्रार्थी स्वयं की स्वीकारोक्ति हैं। तो पुनः बटवाडा करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। विधिनुसार एक बार सहमति से बंटवाडा होने पर पुनः बटवाडा होने पर पुन बंटवाडा होने या करने का पक्षकारान को अधिकार नही है। सन् 2010 से लगाया आज तक प्रार्थी व अप्रार्थी का सयुक्त कब्जा काश्त कभी भी नही रहा है। तो बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा पुनः करवाने तथ्य गलत है।

यह गलत है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हिस्से में दखलअंदाजी की हो, तथा यह भी गलत है कि अप्रार्थी ने गलत तारबन्दी की हो। प्रार्थी का उसकी पृथक कब्जा काश्त सूदा भूमि मार्क सी.डी.ई.एफ.जी.एच पर तारबंदी, मार्ग विद्यमान है। प्रार्थी ने गलत तथ्य वर्णित किये तथा गलत रिपोर्ट वास्तविकता के विपरित पुलिस थाना खिंवाडा में पेश

पेज नम्बर 4 पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally Signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:47:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

की था, जिस पर पुलिस थाना खिंवाडा ने मौके पर आकर प्रार्थी की रिपोर्ट गलत होने का भी कहा था।

प्रार्थना पत्र का सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही हैं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिजहोने योग्य हैं प्रार्थी ने कौनसे व किस तरफ के हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की है। जिसका वर्णन नही हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत हैं। अप्रार्थी को मात्र गलत तंग परेशान करने की बदनियति से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्षय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य दिनांक 17.05.2010 को जरिये राजीनामा लिखित बटावाडा दिनांक 17.05.2010 को हो चुका हैं। जिस अनुसार प्रार्थी काबिज हैं। परन्तु रिकोर्डली बंटवाडा नही होने से प्रार्थी के कब्जा काश्त में धोरापाली हटाकर तारबन्दी लगवाना शुरू कर दी है। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर इस संबंध प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रार्थी के कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी में किस ओर है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 17.05.2010 को हुए आपसी राजीनामा में सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि दोनों पक्षकारान ने आपसी समझाईश से मौके पर कृषि भूमि आपस में अलग–अलग सहमति से बांट दी है। परन्तु इस संबंध में किसी प्रकार का अभिलेख पेश नही किया, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कब्जा काश्त विद्यमान है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है अतः सम्पूर्ण विवादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर बराबर हक अधिकार है । अस्थाई निषेधाज्ञा यदि प्रार्थी के पक्ष में जारी की जाती है तो अप्रार्थी को भी उतनी ही सुविधा होगी जितनी की प्रार्थी को, अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि [illegible] संख्या–1 प्रार्थी के बंट की कृषि भूमि खसरा संख्या 240, 241 में [illegible] धक्काकर रात्रि के समय जेसीबी मशीन लेकर वादी को हटाकर एवम् तारबंदी कर प्रार्थी के कृषि भूमि को खुर्दबुर्द एवम् नुकसान पहुंचा रहे है। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 5 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जिस संबंध अप्रार्थी के अभिवक्ता का कथन है कि लिखत 17.05.2010 के अनुसार तारबन्दी की हैं प्रार्थी का यह कहना गलत है कि धोरा पाली हटाकर तारबन्दी की गई है।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। सहखातेदार के मध्य हुए आपसी बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया है। परन्तु कौनसा खातेदार किस ओर काबिज है यह इस आपसी राजीनामा में स्पष्ट नही हैं। प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी व उनके परिवार जनो ने इनकी कब्जा काश्त जमीन में धोरा पाली हटाकर अपनी तारबन्दी कर रहे है। परन्तु इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो उसे उतनी ही अपूरणीय क्षति होगी जितनी की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अप्रार्थी को होगी। सहखातेदार होने से दोनो को होने वाली अपूरणीय क्षति भी समान होगी। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

—: आदेश :—

अप्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (मारवाड़)

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (मारवाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:57:05 IST
Reason: SelfAttested